

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- ततारपुर

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा
202/17

रजू दिनांक
04.08.2017

निर्णय दिनांक
21.05.2018

अनुवान

1. इमरती पत्नी देशराम जाति जाट निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर थाना ततारपुर जिला अलवर राज0

:-वादीया

बनाम

1. पूरणमल
2. राजेश कुमार पुत्रान रामनिवास जातियान जांगिड ब्राह्मण निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर

:-प्रतिवादीगण

3. मुकेश कुमार पुत्र देशराम जाति जाट निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
4. राकेश पुत्र देशराम नाबालिग जरिये सरप्रस्त भाई मुकेश कुमार पुत्र देशराम

:-तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा-हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 188
राज0काश्त0अधि0

:-: पर्चा डिक्री:-


दिनांक:- 21.05.2018

वादी की ओर से श्री सरजीत सिंह चौधरी वकील वादी व प्रतिवादीगण असल की ओर से श्री धर्मवारी बडसीवाल वकील की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 21.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-


मुण्डावर (अलवर) राज0

आराजी ख0न0 1509/1 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के बाबत बहकवादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से सदैव-सदैव के लिए पाबंद किया जाता है तथा मूल ख0न0 1509 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम ततारपुर के 0.12 है0 उपरोक्तानुसार हिस्से रकबे को छोडकर शेष रकबे के बाबत वादीया को पाबंद किया जाता है कि वह भी प्रतिवादीगण के उक्तानुसार ही शेष हिस्से रकबे की हद तक हु0ई0दवामी से सदैव-सदैव के लिए पाबंद रहे। मौका व रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखें। सदैव-सदैव के लिए पाबंद रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


21.05.18
(महेश चन्द्र मान) उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं मुण्डावर (अलवर) राज०
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)